



निर्णय बड़जलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 81/2021

तारीख दायरा 06.07.2021

उनवान

1. प्रेमनारायण श्री भैरूलाल जाति खटीक निवासी 1 सी 66, महावीर नगर, विस्तार योजना कोटा।
2. अमित कुमार चौपदार श्री भरोसीलाल जाति चौपदार निवासी प्रेमनगर, शाहाबाद रोड, बारां जिला बारां। — वादीगण

बनाम

1. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांगोद जरिये व्यवस्थापक।
2. राजस्थान सरकार जरिये लेंड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सांगोद। — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :-

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण)

दिनांक :- 25.01.2022

श्री सरकार पैरोकार

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण के कब्जे व स्वामित्व की खसरा नंबर 135 रकबा 1.99 हैक्टर, खसरा नंबर 22 रकबा 0.09 हैक्टर कुल कित्ता 2 की कुल 2.08 हैक्टर आराजी वाके ग्राम जालीहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जो वादीगण द्वारा पूर्वखातेदार श्री गोबरीलाल पुत्र श्री मन्नालाल जाति नायक निवासी ग्राम जालीहेडा तहसील सांगोद से जरिये रजिस्टर्ड बेनामा कमांक 201903303100910 दिनांक 27.06.2019 से कर कब्जा प्राप्त किया था, तभी से उक्त आराजी वादीगण के एकमात्र मालिकाना हक व कब्जेकाश्त में बदस्तूर चली आ रही है।

पूर्व में उक्त आराजी प्रतिवादी कं. 1 के पक्ष में गारग्रस्त थी जिसके भार की सम्पूर्ण न में जमा होकर आराजी गारमुक्त हो चुकी है जिसका नोड्यूज पूर्व में ही बैंक द्वारा राजस्व को प्रेषित किया हुआ है जिसके बाद ही वादीगण द्वारा उक्त आराजी मूलखातेदार से कय न प्राप्त की है, जिसके संबंध में विकेता द्वारा भी रजिस्टर्ड वेनाम में इस आशय का आलेखन किया है कि उक्त आराजी अन्यत्र कहीं रहन अथवा वैय फरोक्त की हुई नहीं है। मुताबिक वेनामा अन्तकाल दर्ज करने हेतु वादीगण द्वारा पटवारी हलका से निवेदन किया तो पटवारी द्वारा नया नोड्यूज सर्टिफिकेट लाने को कहा तो वादी कं. 1 ने प्रतिवादी कं. 1 बैंक में सम्पर्क किया तो वहां के कार्मिकों द्वारा पुनः नोड्यूज जारी करने से इन्कार कर दिया और कहा कि बैंक द्वारा पूर्व में एकबार नोड्यूज जारी कर दिया है तथा जल्द ही बैंक उक्त आराजी को नीलाम करेगा तो अब दोबारा जारी नहीं किया जायेगा जबकि उक्त आराजी पर प्रतिवादी कं. 1 का कोई रहनराशि बकाया नहीं है। वादीगण वादग्रस्त आराजी के रजिस्टर्ड आर्नर है जिन्हें वक्त खरीद से ही वादग्रस्त आराजी पर कानूनन खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं किन्तु रहन के नोट के कारण कयशुदा आराजी वादीगण के नाम रिकार्ड में दर्ज नहीं हो पा रही है जिसके कारण वादीगण को अपरिमित क्षति वहन करनी पड रही है। ऐसी परिस्थितियों में माननीय न्यायालय में वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादकारण गत सप्ताह प्रतिवादी कं. 1 के कार्मिकों द्वारा वादग्रस्त आराजी का नोड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने से इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ।

अतः रजिस्टर्ड वेनामा कमांक 201903303100910 दिनांक 27.06.2019 से वादीगण द्वारा खरीदशुदा वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के खाते दर्ज की जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावे एवं प्रतिवादी कं. 1 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहन के त्रुटिपूर्ण नोट का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण के हक व कब्जेकाश्त की वादग्रस्त आराजी को नीलाम या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें एवं वादीगण को शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त से बेदखल नहीं करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी कं. 1 स्वयं करें, न ही अपने नौकरों, एजेन्टों व कर्मचारियों से करावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी हो चुकी है। सूचना होने के बावजूद प्रतिवादी सं.1 न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने से प्रतीत होता है कि वाद पत्र में वर्णित तथ्यों से सहमत हैं। अतः प्रतिवादी सं.1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं.2 का जवाब प्रस्तुत हुआ जिसके अनुसार वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र ग्राम जालीहेडा की आराजी खसरा नंबर 135 रकबा 1.99 हैक्टर, खसरा नंबर 22 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.08 हैक्टर भूमि दिनांक 27.06.2019 को कय की है तथा भूमि पर संबंधित बैंक का रहन भार दर्ज होने के कारण

पत्र में नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है। इसके पश्चात वादीगण अधिवक्ता के वाद पत्र में
को दोहराते हुए तथा जवाब सरकार के आधार पर वाद स्वीकार किए जाने की प्रार्थना

भरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। वहस वादीगण अधिवक्ता
एवं पत्रावली में उपलब्ध दरतावेजात, राजस्व रेकार्ड, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पत्र, जवाब
इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना
प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि—

माल ग्राम जालीहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 135 रकबा 1.
99 हैक्टर, खसरा नंबर 22 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.08 हैक्टर आराजी का
वादीगण को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड से
वैक के रहनभार का नोट हटाया जाकर उक्त आराजी वादीगण के खाते दर्ज की जावे। उक्तानुसार
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री
पर्चा पृथक से जारी हो।

(संजय मजिस्ट्रेट)
उपखण्ड अधीक्षक (कोटा) सांगोद

निर्णय आज दिनांक 25.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संजय मजिस्ट्रेट)
उपखण्ड अधीक्षक (कोटा) सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इत्तदाई
आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

य बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला
कोटा

करण संख्या : 81 / 2021

तारीख दायरा 06.07.2021

उनवान

1. प्रेमनारायण श्री भैरूलाल जाति खटीक निवासी 1 सी 66, महावीर नगर, विस्तार योजना कोटा।
2. अभित कुमार चौपदार श्री भरोशीलाल जाति चौपदार निवासी प्रेमनगर, शाहाबाद रोड, वारां जिला वारां। — वादीगण

बनाम

1. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांगोद जरिये व्यवस्थापक।
2. राजस्थान सरकार जरिये लेंड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सांगोद। — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :-

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण)

दिनांक :- 25.01.2022

श्री सरकार पैरोकार

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री नरेश कुमार गौतम मिन जानिव मुदई रूबरू श्री मिन जानिव मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि—

माल ग्राम जालीहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 135 रकबा 1.99 हैक्टर, खसरा नंबर 22 रकबा 0.09 हैक्टर कुल कित्ता 2 की कुल 2.08 हैक्टर आराजी का वादीगण को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड से बैंक के

नोट हटाया जाकर उक्त आराजी वादीगण के खाते दर्ज की जावे। उक्तानुसार राजस्व अमल दरामद किया जावे।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
सांगोद (कोटा)

निर्णय आज दिनांक 25.01.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
सांगोद (कोटा)